

टांक
लिगा मजिस्ट्रेट



496

प्रहलाद का मकान तथा दक्षिण में गंगाधर एवं हेमराज पुत्र प्रहलाद मीणा का मकान स्थित पूर्व में लक्ष्मीनारायण का खेत, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में खय का मकान इसके बाद उनीयारा जिगा टांक में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 100 वर्गगज है व जिसकी सीमाएं सम्पत्ति/भूखण्ड, पट्टा संख्या 33, बाक आम सरदारपुरा, आम पंचायत रानीपुरा, तहसील सुविधा के एवज में बंधक सम्पत्ति, हनुमान मीणा के स्वामित्व व अधिपत्य की एक करया गया था व अप्रार्थी/ऋणियों, जमानतदारों द्वारा प्राप्त किये गये उक्त ऋण की को कुल 5,10,000/रुपये (अक्षर पाँच लाख दस हजार रुपये मात्र) का ऋण उपलब्ध कम्पनी से ऋण खता संख्या RJ/TNK/TNK/A00000388 से दिनांक 30.07.2024 बैंक/कम्पनी के बंधककर्ता ऋणी/सहऋणी/गारंटर है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि अप्रार्थीगण, Securities Interest Act 2002 के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रार्थी बैंक/कम्पनी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 The

दिनांक 04.02.2026

आदेश

अर्सेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ फिजिकल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 फिजिकल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ फाइनेंशियल ऋणी/सहऋणी/जमानती

1. लाली देवी (ऋणी) पति-शाम सरदारपुरा, आम पंचायत रानीपुरा, तहसील उनीयारा, जिगा टांक, राजस्थान 304024
2. हनुमान मीणा (सहऋणी एवं बंधककर्ता) पति-शाम सरदारपुरा, आम पंचायत रानीपुरा, तहसील उनीयारा, जिगा टांक, राजस्थान 304024

बनाम

...प्रार्थी (प्रतिभूत लेनदार)

दिलीप सिंह यादव
टॉवर एक-1 आंध्रपाली सर्किल बैंगलोर नगर जयपुर 302021 जयपुर प्राधिकृत अधिकारी
एस्टेट गार्डन-600032 एवं शाखा कार्यालय द्वितीय तल 212,213,214 एवरसाइड
हिन्दुजा हाकरिग फाइनेंस लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय 27 ए-बल्लड इन्स्टीट्यूट

15.01.2026

01/2026

प्रतिष्ठित दिनांक

प्रकरण संख्या

(पीठाधीन अधिकारी कल्पना अग्रवाल, आई.ए.एस.)

न्यायालय जिगा मजिस्ट्रेट टांक



(a) Take possession of such asset and documents relating thereto, and District Magistrate shall, on such request being made to him-

thereof, and the Chief Metropolitan Magistrate or, as the case may be, the documents relating thereto may be situated of found- to take possession the District Magistrate within jurisdiction any such secured asset or other such secured asset, request, in writing the Chief Metropolitan Magistrate or secured creditor may, for the purpose of taking possession of control of any transferred by the secured creditor under the provisions of this act, the secured creditor or if any of the secured assets is required to be sold are (1) Where the possession of any secured assets is required to be taken by the creditor in taking possession of secured asset-

14- Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate to assist secured

स्पष्ट प्राधान्य है, जो इस प्रकार है.

2002 की धारा 14 में उक्त रहन की गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी को दिलाये जाने बाबत Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। The Securitisation and किया जाने व तामिल के पश्चात धारा 14 के तहत आदेश पारित करने से पूर्व पुनः न्यायिक दृष्टान्त, माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान को रिट याचिका संख्या 6256/2016 पंजाब न्यायालय व अन्य बचत निगम लिमिटेड उदयपुर व अन्य, में पारित निर्णय दिनांक 04.10.2016 के अनुसार न्यायालय की धारा 13 की उप धारा 2 के तहत नोटिस जारी

करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया गया। प्रार्थी बैंक / कम्पनी के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राधान्य है।

बैंक / कम्पनी को जारिये पुलिस इमदाद संग्रहाने के लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तहत उपरोक्त खाले में देय राशि क पुनर्भुगतान हेतु रहन श्रद्धा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act 2002 की धारा 14 के सम्पत्तिया है। प्रार्थी बैंक / कम्पनी द्वारा The Securitisation and Reconstruction of गई है। न्यायालय द्वारा बचत निगम लिमिटेड का अप्रार्थीगण कब्जा भी प्रार्थी बैंक / कम्पनी को नहीं प्रकाशित करवाये जाने के बावजूद न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त में बैंक की दिनांक 07.08.2025 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस जारी किये जाने तथा समाचार पत्र में निकलते है। उक्त न्यायालय को प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत 2025 तक ब्याज शामिल करते हुये तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्च बकाया 5,23,137/ (अक्षर पूर्व लाख तीस हजार एक सौ सौलिस रुपये मात्र) दिनांक 07.08. एन.पी.ए. धारित कर दिया गया व अप्रार्थी/न्यायालय के न्यायालय में बकाया राशि शर्तों के नियमानुसार नहीं चुकाया, जिसकी वजह से उक्त खाले को दिनांक 04.08.2025 को है। अप्रार्थी/न्यायालय ने उपरोक्त न्यायालय को, बैंक के साथ किये गये न्यायिक दृष्टान्त की

को
डिप्टी मजिस्ट्रेट
दिल्ली

काठमाडौं, नेपाल
०५/०२/२०२६
(कर्मचारीहरूको)
संस्थापक



10

आदेश आज दिनांक 04.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संबन्धित बैंक/कम्पनी द्वारा वहन किया जायगा।

अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनभत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमां में देय है जो मुद्दा कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवाइ जावे। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिवाने हेतु कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, ट्रांक को पर्याप्त पुलिस जाना सक्षम न्यायालय का स्वामन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वकत पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भालवाया जावे। आदेश की फाईनेलियल एसेट्स एण्ड एनकाउंटेड ऑफ सिविलिटी इन्स्ट्रुमेंट्स एक्ट 2002 की धारा 31 के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को ही सिविलिटी इन्स्ट्रुमेंट्स एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ निर्णय प्रति तहसीलदार नगरकोट को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के

उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/कम्पनी का होना।

है, यदि नियमां के अन्वयार किसी प्रकिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो सम्पत्ति 2.आदेश प्राधिकृत अधिकारी के बाध्य पत्र एवं पेशा दस्तावेजों के आधार पर दिये जा रहे हैं तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावे।

1.रहन श्रुति सम्पत्ति का कब्जा लेकर सम्भलवाते वकत यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होना का सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं :

पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहन श्रुति सम्पत्ति को प्रार्थी आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विवेचन कर उनके द्वारा दिये गये बाध्य नियमां के अन्वयार सम्पत्ति कार्यावाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्वामन प्राधिकृत अधिकारी ने प्रार्थना पत्र के साथ इस आदेश का बाध्य पत्र पेश किया कि

in his opinion, be necessary.

- (1) the chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may take or cause to be taken such steps and use or cause to be used, such force, as may,
- (2) For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section (b) Forward such assets and documents to the secured creditor.